न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गोड्डा।

क्रि0केश नं0–297/2020

जैनब खातुन

बनाम्

रज्जाक अंसारी

धारा–107 द0प्र0स0

वर्त्तमान प्रक्रिया थाना प्रभारी, पथरगामा के अप्राथमिकी सं0–44/20 द्वारा धारा–107 द0प्र0स0 के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष के बीच तनाव एवं शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है।

वर्त्तमान प्रक्रिया में उभय पक्ष की हाजरी पड़ी है। उभय पक्ष के सभी सदस्यों के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर सुलहनामा आवेदन दाखिल किया गया है। उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया है कि उभय पक्ष के बीच ग्रामीणों एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा सुलह कर लिया गया है तथा उनके बीच अब कोई मतभेद नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की शांति भंग होने की संभावना है।

उभय पक्ष की ओर से दाखिल सुलहनामा आवेदन का अवलोकन किया तथा उपस्थित सदस्यों से पूछताछ की गई वे स्वीकार करते हैं कि उनलोगो के बीच सुलह हो गया है। उनके बीच लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का खतरा नहीं दिख रहा है।

अतः उभय पक्ष की ओर से दाखिल सुलहनामा एवं उपस्थित सदस्यों से पूछताछ से संतुष्ट होकर सुलहनामा आवेदन के आधार पर वर्त्तमान वाद समाप्त किया जाता है। सुलहनामा आवेदन आदेश का अंश माना जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

27/01/2021
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

27/01/2021
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोड्डा।